पत्रांक–21 / रा॰सू॰आ॰–02 / 2020,सा॰प्र॰ 569 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव /
सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 13-1-2021

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त सूचनावेदनों एवं प्रथम अपील आवेदनों का ससमय निष्पादन करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में यह प्रावधानित है कि जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित मामलों का निष्पादन सूचनावेदन प्राप्ति के 48 घंटों के अंदर किया जाना है, वहीं अन्य मामलों का निष्पादन सूचनावेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर किया जाना है। इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय अपील आवेदनों के निष्पादन के संदर्भ में भी समय–सीमा का प्रावधान किया गया है।

कतिपय ऐसे मामले इस विभाग के संज्ञान में आए हैं, जिससे परिलक्षित होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त सूचनावेदनों एवं प्रथम अपील आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समयावधि के भीतर नहीं किया जा रहा है। राज्य सूचना आयोग द्वारा ऐसे मामलों में विलंब के लिए दोषी पदाधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अर्द्धदण्ड अधिरोपित किया जाता रहा है। लोक सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारों के स्तर से होने वाले इस अवांछनीय विलम्ब के कारण आवेदको को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस अधिनियम के गठन के उद्देश्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी लोक सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त सूचनावेदनों एवं प्रथम अपील आवेदनों का ससमय निष्पादन करने हेतु निदेशित करने तथा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

12.1.21

(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।